

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026- 31

पटना, दिनांक-19/3/26

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवंटित किया जाता है:-


क्र.सं.	Reg.No	नाम/पदनाम	विभाग	नव आवंटित आवास
1.	GZ16096	डॉ० नेशामनी के०, भा०व०से०, परियोजना निदेशक	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	204, गामा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
2.	GZ16106	श्री पियुष कुमार बरनवाल, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	E2/402, गर्दनीबाग
3.	GZ13727	श्रीमती पुनम कुमारी, बि०प्र०से०, उप सचिव	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	D6/103, गर्दनीबाग
4.	GZ16086	श्री कुमार ब्रजेश, बि०प्र०से०, उप सचिव	मुख्यमंत्री सचिवालय	D7/401, गर्दनीबाग
5.	GZ16058	श्री शर्मा प्रवीण कुमार रामरतन, सहा० अभियोजक (विधि पदाधिकारी)	निगरानी विभाग	D5/702, गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- विभागीय आदेश सं०-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू०टी०पी०, एस०टी०पी०, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	गामा ब्लॉक, शास्त्रीनगर	₹1305	₹1740	₹3045
2.	ई-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010
3.	डी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।


5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
 19/03/26  
 (शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-2760(1) पटना, दिनांक:- 19/03/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
 19/03/26

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

क्र.सं.	आवंटन क्रमांक	उत्पत्ति	मंडल का नाम	वर्ग
01/03	01/03	2021	गणतन्त्र शासन	1
02/03	02/03	2021	गणतन्त्र शासन	2
03/03	03/03	2021	गणतन्त्र शासन	3